बिहार विधान परिषद्

190वां सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग – 2

06 अग्रहायण, 1940 (श.)

मंगलवार, तिथि ---------------------------------

27 नवम्बर, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 22

1.	स्वास्थ्य विभाग	....	....	13
2.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	....	....	01
3.	उद्योग विभाग	....	....	01
4.	ऊर्जा विभाग	....	....	05
5.	गन्ना उद्योग विभाग	....	....	01
6.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	....	....	01

		कुल योग –		**22**

त्वरित कार्रवाई

* 1. **प्रो. नवल किशोर यादव, श्री दिलीप कुमार चौधरी** एवं **श्री टुनजी पाण्डेय** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में डेंगू का कहर थम नहीं रहा है, विभागीय आंकड़े के अनुसार सूबे में 641 में से 444 लोग, पटना में डेंगू रोग से पीड़ित हैं, जिससे पटना के अस्पतालों में जांच और प्लेटलेट्स की व्यवस्था में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना के नौबतपुर में डेंगू का प्रकोप फैलता जा रहा है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे नौबतपुर के अमरपुरा गांव निवासी एवं निसरपुरा विद्यालय की शिक्षिका इंदू देवी की मौत दिनांक-26.10.2018 को डेंगू के प्रकोप से हो गई है इस तरह पटना में 5 डेंगू मरीजों की मौत हो चुकी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस तरह की भयावह स्थिति में त्वरित कौन-सा कदम उठाने पर विचार कर रही है, यदि नही तो क्यों ?

ट्रीटमेंट प्लांट पर विचार

* 2. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला के बड़हारा प्रखंड, शाहपुर प्रखंड और कोईलवर प्रखंड के 84 टोले और बक्सर जिला के 6 पंचायत आर्सेनिक से प्रभावित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि आर्सेनिक प्रदूषित जल के लम्बे समय तक उपयोग करने के उपरांत आर्सेनिकोसिम बीमारी होने की संभावना रहती है;

(ग) क्या यह सही है कि भू-गर्भीय जल के अध्ययन से यह ज्ञात है कि आर्सेनिक की समस्या सामान्यतया कम गहराई वाले चापाकलों के पानी पीने से होता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 200 फीट गहराई तक चापाकल लगाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

मानदेय में बढ़ोतरी

* 3. **श्री राम ईश्वर महतो** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में 12000 नियमित टीकाकरण कूरियर कर्मी लगभग 12 वर्षों से 75 रु. प्रतिदिन दैनिक भत्ते पर अपनी सेवा स्वास्थ्य विभाग में ग्रामीण स्तर पर दे रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने कमिटी बनाकर राज्य के संविदाकर्मी आशा, ममता, आंगनबाड़ी को 60 वर्षों तक स्थायी एवं चार लाख तक की बीमा देने की घोषणा की है, लेकिन नियमित टीकाकरण कूरियर को इस लाभ से वंचित कर दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अन्य संविदा कर्मियों की तरह टीकाकरण कूरियर को भी नियमित करते हुए दैनिक मानदेय 75 रु. से बढ़ाकर सम्मानजनक करने का इरादा रखती है, यदि हां तो कबतक ?

उपकरणों की उपलब्धता

* 4. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के किसी भी सरकारी अस्पताल में बाइपास सर्जरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इस कारण बाइपास सर्जरी की जरूरत पड़ने पर मरीजों को निजी अस्पतालों या पटना से बाहर का रुख करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि प्राइवेट अस्पतालों ने बाइपास सर्जरी का पैकेज एक लाख चालीस हजार से लेकर दो लाख दस हजार तक रखा है, दवा और खून की जरूरत पड़ने पर यह राशि तीन लाख से ऊपर तक चली जाती है, जबकि डॉक्टरों के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में यह सर्जरी होने लगे तो 50 से 70 हजार मात्र का खर्च आएगा;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सरकारी अस्पतालों में बाइपास सर्जरी के लिए जरूरी आवश्यक उपकरणों को उपलब्ध कराकर बाइपास सर्जरी की सुविधा जल्द बहाल कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

निर्धारित अर्हता

* 5. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र विज्ञान केन्द्र के निदेशक द्वारा ऐसे व्यक्ति को मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी बनाया गया है जो इस पद के लिए निर्धारित योग्यता एवं अर्हता नहीं रखते हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार यह बताए कि मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी, नेत्र विज्ञान केन्द्र, राजेन्द्र नगर के लिए निर्धारित अर्हता क्या है और बगैर अर्हता/योग्यता प्राप्त व्यक्ति को उक्त पद पर पदस्थापित करने का क्या औचित्य है ?

अप्रिय घटना की संभावना

* 6. **श्री सच्चिदानन्द राय** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लहलादपुर का भवन जर्जर हो गया है जिसमें बरसात के समय छत से पानी टपकता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जर्जर भवन में प्रसव कक्ष है जहां भवन की जर्जरता के कारण हमेशा अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जर्जर भवन के स्थान पर नए भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

रिवाईवल की योजना

* 7. **श्री प्रेमचन्द्र मिश्रा** : क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार में पूंजी निवेश हेतु उद्यमियों को आकर्षित करने के प्रयास चल रहे हैं, अगर नहीं तो सरकार उसके बदले बंद पड़े सार्वजनिक संस्थानों को ही चालू करने का प्रयास जो कारगर भी हो सकता है, को लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है;

(ख) क्या सरकार के पास राज्य के बंद पड़े सेक्टर को पुनर्जीवित करने का कोई प्रस्ताव है, जैसे फूड प्रोसेसिंग, हाइडल सेक्टर के रिवाईवल की कोई योजना है, अगर नहीं तो क्यों ?

बिजली तार की व्यवस्था

*** 8. श्री राजन कुमार सिंह** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला के शहर में बिजली तार की स्थिति जर्जर है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जिला के शहर में संवेदक द्वारा बिजली तार बदलने का कार्य धीमी गति से किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि जर्जर तार होने के कारण आम जनता में तार गिरने का भय बना रहता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त जिला के शहर में बिजली तार कब तक बदलना चाहती है ?

स्वास्थ्य सुविधा

*** 9. श्री राम लषण राम रमण** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत सूर्यगढ़ा प्रखंड के पोखरामा ग्राम में कई वर्ष पहले प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना की गयी थी;

(ख) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना के पश्चात कुछ ही दिनों के बाद उस उपकेन्द्र का भवन ध्वस्त हो गया, वहां न डॉक्टर है, न ही कंपाउंडर हैं जिसके कारण स्थानीय लोगों को ईलाज कराने में काफी कठिनाई होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सामाजिक न्याय के तहत इसी वित्तीय वर्ष में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन को पुन: नये सिरे से निर्माण कराकर स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है ?

कर्मियों का समायोजन

* 10. **श्री वीरेन्द्र नारायण यादव** एवं **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण), स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार ,पटना के पत्रांक-790(11), दिनांक-01.08.2018 के द्वारा पटना जिला के अंतर्गत 1985 से 2004 तक नियुक्त मौसमी डी.डी.टी. छिड़काव कर्मियों का समायोजन/नियुक्त करने की अनुशंसा जिलाधिकारी, पटना को दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं.-7543/99, दिनांक-22.07.2016 के पहल पर जिलाधिकारी, पटना ने पत्रांक-249 (स्थापना-2), दिनांक-29.06.16 के आदेश में डी.डी.टी. छिड़काव कर्मियों की अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन वेबसाइट पर किया गया है, लेकिन अभी तक उन कर्मियों का समायोजन नहीं किया जा सका है जिससे कर्मियों में भारी असंतोष व्याप्त है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार न्याय निर्णय के आलोक में डी.डी.टी. छिड़काव कर्मियों का समायोजन करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

गड़बडियों की जांच

* 11. **श्री सुबोध कुमार** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक स्थान पर 3-4 वर्ष से अधिक पदस्थापन नहीं करने का नियम बनाया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि वैशाली जिला के सिविल सर्जन एक ही जगह 6 (छ:) वर्षों से जमे हैं तथा वैशाली जिला के स्वास्थ्य विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार फैला रखा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैशाली जिला के सिविल सर्जन के द्वारा की गयी गड़बडियों की जांच कराते हुए उनका स्थानांतरण कहीं अन्यत्र करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सब-स्टेशन का निर्माण

* 12. **श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के मोहरा प्रखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना एग्रीकल्चर के लिए योजना के तहत सब-स्टेशन बनाने की योजना चल रही है;

(ख) क्या यह सही है कि मोहरा प्रखंड, कजूर में किसान लोग मांग कर रहे हैं कि मोहरा कजूर में भी एक सब-स्टेशन बने जिससे आमजनों को फायदा हो;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के तहत एक सब-स्टेशन मोहरा कजूर प्रखंड में बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

समुचित कार्रवाई

* 13. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अथमलगोला (पटना) में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा बगैर दण्डाधिकारी की अनुमति के इम्यूनाइजेशन रूम का ताला तोड़कर उसमें रखी दवाइयों एवं अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों को अपने पास रख लिया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित तथ्यों की जांच कराकर उक्त प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

राशि का भुगतान

* 14. **श्री रामचन्द्र पूर्वे** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, समस्तीपुर में पदस्थापित चिकित्सकों के वर्ष 2015-16 से स्वीकृत ए.सी.पी. के बकाये राशि के भुगतान हेतु दिनांक-15.09.2018 को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा गया था, लेकिन अभी तक चिकित्सक, यथा-डा. हरिहर प्रसाद सिंह को बकाये राशि का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बकाये राशि का भुगतान कबतक करना चाहती है ?

चिकित्सीय सुविधा

* 15. **श्री टुन जी पाण्डेय** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सिवान जिला के रेफरल अस्पतालों दरौली, मैरवा, सिसवन, रघुनाथपुर, महाराजगंज में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति कबतक की जायेगी;

(ख) इन अस्पतालों में प्रसव कराने की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसे कबतक पूरा किया जायेगा;

(ग) इन अस्पतालों में एण्टी रैबीज (कुत्ता काटने पर दिया जाने वाला इन्जेक्शन) कबतक उपलब्ध हो पायेगा ?

बिजली तार की व्यवस्था

* 16. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना स्थित मित्रमंडल कॉलोनी अवस्थित शिव नारायण चौक से पूरब बिन्दा पासवान के घर से आगे उत्तर जाने वाली सड़क में अर्जुन प्रसाद के घर से कारू प्रसाद के घर तक विगत वर्ष पूर्व बिजली का खम्भा गाड़ कर छोड़ दिया गया है, जबकि आज तक उक्त खम्भे से बिजली का तार नहीं लगाया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मुहल्लावासियों को बिजली से निजात दिलाने हेतु वर्णित स्थल पर बिजली का तार लगाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बिजली पोल की व्यवस्था

* 17. **श्री दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अन्तर्गत गुलजारबाग स्थित अखिलेश नगर पश्चिमी भाग के रोड नं.-2 में डा. रामगुलाम मिश्र के घर के पास स्थित पोल से लगभग 16 घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पथ में आगे बिजली का पोल नहीं रहने के कारण लोग बांस आदि का सहारा लेकर विद्युत तार ले गये हैं, जबकि कमलदह पथ पर बिजली का पोल बेकार पड़ा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वहां बिजली का पोल गड़वाएगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पर्याप्त व्यवस्था

* 18. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजधानी पटना में राजेन्द्र नगर अस्पताल, गार्डिनर रोड अस्पताल और बेली रोड के शास्त्री नगर स्थित लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त तीनों अस्पताल में महिलाओं (रोगी) को देखने के लिए स्त्री एवं प्रसूति रोग (विशषज्ञों की तैनाती) चिकित्सक हैं;

(ग) क्या यह सही है कि शहर के तीनों अस्पताल में महिलाओं के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, राजेन्द्र नगर अस्पताल में पुरुषों के सामने एक ही कमरा में महिलाओं की जांच होती है;

(घ) क्या यह सही है कि गर्भवती महिलाओं को चार ए.एन.सी. जांच होनी चाहिए, व्यवस्था सही नहीं रहने के कारण ज्यादातर महिलाएं ए.एन.सी. जांच के लिए पी.एम.सी.एच. चली जाती हैं, गर्भवती महिला को डिलिवरी कराने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राजधानी के तीनों अस्पताल में महिला के हित में पर्याप्त व्यवस्था कराना चाहती है ?

अस्पतालों में सुविधा

* 19. **श्री संजीव श्याम सिंह** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बेहतर ईलाज के लिए पूरे बिहार से हादसे में घायल या गंभीर रोगियों को पी.एम.सी.एच., आई.जी.आई.एम.एस. और पटना एम्स जैसे बड़े और नामी अस्पतालों में रेफर किया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि कुछ मरीजों को इन अस्पतालों में मौजूद दलालों एवं कुछ मरीजों को अस्पताल प्रबंधन द्वारा ही वेंटिलेटर, विशेषज्ञ डॉक्टरों और जरूरी उपकरणों के नहीं होने का बहाना बनाकर प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि रेफर के इस खेल में मरीजों का दोहन तो हो ही रहा है और प्राइवेट अस्पताल वाले मोटी कमाई कर रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन अस्पतालों में मौजूद दलालों पर रोक लगाने एवं अस्पतालों में जरूरी सुविधा जैसे वेंटिलेटर की बढ़ोतरी, वैस्कुलर सर्जरी, बाइपास सर्जरी, ब्रेन से संबंधित जटिल सर्जरी, किडनी प्रत्यारोपण आदि की सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

बकाया का भुगतान

* 20. **श्री राम ईश्वर महतो** : क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर जिलों के किसान मुख्य रूप से गन्ने की खेती कर सारा गन्ना रीगा शुगर मिल, सीतामढ़ी को देते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि रीगा शुगर मिल किसानों के लिए एक वरदान है, किसान अपने गन्ने की फसल मिल में जमा कर नकद पैसा ले जाते हैं, जिससे उन किसानों का सालोंभर जीवनयापन चलता है;

(ग) क्या यह सही है कि कुछ वर्षों से रीगा शुगर मिल, सीतामढ़ी द्वारा किसानों का भुगतान नहीं होने पर किसानों में काफी नाराजगी देखी जा रही है, किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के हितों में उनके बकाये पैसे का भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

अनुमोदन पर विचार

* 21. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीवान नगर परिषद् अन्तर्गत वार्ड नम्बर-9 (9-12) के संगम पर गुलजार बाबू (दरबार) द्वारा जन कल्याण में वक्फ सं.-1809 की भूमि को वक्फ कर दिया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित वक्फ स्टेट नम्बर 1809 में पिछले दस वर्षों से प्रबंध समिति नहीं है, स्थानीय जनता द्वारा सन् 2017 में चुनाव कराकर एक प्रबंध समिति बनाकर बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना में भेजा गया, परन्तु उसका अनुमोदन अबतक नहीं हो सका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' में वर्णित वक्फ संख्या 1809 के प्रबंध समिति को कबतक अनुमोदन देने का विचार रखती है ?

राशि का भुगतान

* 22. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि ऊर्जा विभाग के अधीन ब्रेडा के अन्तर्गत कार्यरत नियमित सभी कर्मी अब लगभग सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं;

(ख) क्या यह सही है कि अधीनस्थ ब्रेडा के वेतन मद से 20-30 वर्षों की सेवा अवधि तक जी.पी.एफ. मद में कटौती होने के पश्चात 2007 से अबतक कुल 11 वर्षों की कटौती राशि को जमा नहीं कर घोर वित्तीय अनियमितता की गई है;

(ग) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2006 दिसंबर तक ब्रेडा कार्यालय से सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन योजना से आच्छादित किया गया है तथा जनवरी, 2007 से किसी भी सेवानिवृत कर्मियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बतलाये कि इसके लिए उत्तरदायी तथा दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए कुल 11 वर्षों की कटौती राशि जी.पी.एफ. पर मिलने वाली ब्याज सहित सभी कर्मियों के खाते में जमा करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पटना
दिनांक 27 नवम्बर, 2018 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्